उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या-क0नि0-2-729/ग्यारह–9(1)/2008–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(98)–2013
लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2013

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–दो एवं अनुसूची–चार में दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

(क) अनुसूची–दो में, भाग–ग में, कम संख्या 236 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार रख दी जायेंगी:–

कम संख्या	माल का नाम और विवरण
1	2
236	कच्चा तम्बाकू जिसमें विभिन्न साइज में कटे हुए कच्चे तम्बाकू तथा टोबैको रिफ्यूज सम्मिलित हैं।

(ख) अनुसूची–चार में, कम संख्या 14 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार रख दी जायेंगी:–

कम संख्या	माल का नाम और विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
14	खैनी, जर्दा, सुर्ती, अन्य निर्मित तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जिसमें बीड़ी एवं सिगरेट/सिगार अपवर्जित है।	नि0 या आ0	30%

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।